

62

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

मजिस्ट्रेट कोर्ट

बनाम विनोद कोर्टी वगैरह


क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
-----------	---------------------------------	----------------


अभिलेख सं०-एम...130.../2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी
...के अप्राथमिकी सं०-40/17 दिनांक-28/08/17 प्रस्तुत
पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि घर के सामने
पिच सी.सी.सी. सड़क पर पिच अप भेज
वगाकर रास्ता बाधित करने के चलते
विवाद ड्य

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति
क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे
जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त
पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं०
की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय
पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष
तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक
हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि
दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख तिथि 25-09-17 को उपस्थापित करें।
लेखापित एवं संश्लेषित


कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू।


कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू।

25-09-17

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष
उपरिपत्र। उभय पक्ष जवाब दारिणल के।
दिनांक 16-10-17 को रखे।
Bolk put before MC by next
date 6/11

16/10


25/9/17

तिथि	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर	
	<p>प्रतिपरीक्षण किया गया तथा गवाही से मुक्त किया गया। प्रथम पत्र गवाही के दिनांक 26-02-18 को रखे।</p>	
26-02-18	<p style="text-align: right;">26/2/18</p> <p>पीछलीन पदाधिकारी अवकाश पर दिनांक 16-03-18 को रखे।</p>	
16-03-18	<p>पीछलीन पदाधिकारी नगर पंचायत निर्वाचन कार्य में अस्त। दिनांक 26-03-18 को रखे।</p>	
26-03-18	<p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पत्र उपस्थापित द्वितीय पत्र क्रमांक 01 उपस्थापित क्रमांक 02 अधिलेखता हाजरी। उक्त वाद में 6 (छः) मही की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है। अतः वाद में अभिलेख की कारवाई बन्द की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">26/3/18</p>	